



## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

### SITTING NOTICE

File No NCST/SER-664/MRLY/16/2022-SSW

Dated:- 24.10.2024

सेवा में,

Shri Ashok Kumar Verma  
General Manager  
Northern Railway  
Baroda House  
New Delhi -110001  
Email: [gm@nr.railnet.gov.in](mailto:gm@nr.railnet.gov.in), Phone :- 23387227

विषय:- अनुकम्पा के आधार पर रेलवे प्रशासन द्वारा नौकरी न देने के संबंध में - श्रीमती रमेशी देवी पत्नी श्री गिरधारी लाल मीना (पूर्व ट्रेकमैन/हापुड), ग्राम-गढौरा, पो-कालाखो, तहसील-सिकराय, जिला- दौसा (राजस्थान)

संदर्भ:- (i) Northern Railway letter no. 220-E/1258/31-NCST/MB/22/RP Cell dated .11.2023.  
(ii) NCST letter of even no. dated 21.12.2023 forwarded therewith a copy of the minutes of the sitting held on 29.11.2023

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. श्री जे. हुसेन, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच / की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **06.11.2024 को 5:00 बजे** सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले में सम्बंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/ दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

(एच .आर.मीना /H.R. Meena)  
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer  
Phone -24641640

Copy to :

श्रीमती रमेशी देवी  
ग्राम-गढौरा, पो-कालाखो,  
तहसील-सिकराय,  
जिला- दौसा-303501(राजस्थान) (Mob No. – 9694935464)

(यह सूचित किया जाता है कि दिनांक **06.11.2024 को 5:00 बजे** आयोजित सिटिंग में, आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली -110003 में उपस्थित हो। )